RAJYA SABHA

Thursday, the 16th August, 2001/25 Sravana, 1923 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Sub-standard Foreign Consumer Articles

*341. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news- item published in the Times of India dated the 30th April, 2001 under the caption, "India witnesses the food, bad and ugly of foreign goods invasion";

(b) if so, Government's reaction thereto; and

(c) the steps proposed to be taken to check the sub-standard foreign consumable which have flooded the Indian market since the removal of quantitative restrictions?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Overall, import in dollar value have not registered an increase after removal of quantitative restrictions; in fact they have marginally declined during the period April-June, 2001, compared to the corresponding period in the year 2000. Government have taken various measures to ensure that imported edibles and food products conform to the requirements of Indian laws such as the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, and Rules made thereunder, Fruit Products Order, 1955, Meat Food Products Order, 1973, the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977. The requirements of these laws have been specifically made applicable to imported goods through notifications issued by Government in the Department of Commerce under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992. Instructions have been issued to customs authorities to clear imports of goods including edibles and food products only after checking that they comply with the requirements of Indian laws.

Sensitization training programmes were organized by the Ministry of Health and Family Welfare (Directorate General of Health Services) at Delhi, Mumbai, Kolkata,

Chennai and Cochin for officers and staff of customs, port and airport health organizations and importers, etc. to familiarize them with the provisions of relevant Indian laws. All the State Governments and Union Territory Administrations have been requested to ensure through their concerned Departments such as the Department of Health, Department of Weights and Measures, etc. that all imported goods offered for sale comply with the requirements of Indian laws.

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, after the removal of Quantitative Restrictions, foreign goods, particularly, consumable goods, are entering the Indian market in a big way. Under the guise of foreign goods, a lot of spurious, adulterated and sub-standard goods are also coming into the Indian market. This is not only affecting the domestic industry, but it is also affecting the consumers at large. Therefore, I would like to know from the hon. Minister of Consumer Affairs what action he is proposing to take to protect the interests of the consumers.

श्री सांता कुमार: सभापति जी, जिस सर्वे का जिक्र किया गया है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय ने एक एनजीओ के साथ मिलकर सर्वे किया और उस सर्वे की रिपोर्ट में जो-जो बातें कही गई हैं, वे लगभग ठीक हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद सरकार ने इन चीजों पर चैकिंग करने के कुछ कदम उठाए हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि पहले निर्देश के मुताबिक आयात करते समय कस्टम अधिकारी केवल 5 प्रतिशत चीजों की चैकिंग करते थे, सभी को चैक नहीं करते थे। केवल पांच प्रतिशत वस्तुओं को चैक करने का परिणाम यह होता था कि बहुत-सी वस्तुएं बिना चैक हुए आ जाती थीं। अब सरकार ने यह निर्देश दे दिया है कि पांच प्रतिशत नहीं जो सौ प्रतिशत खाने की वस्तुएं आयात होती हैं, उनको सौ प्रतिशत चैक किया जाए। यह एक नया निर्देश जारी कर दिया है। एक निर्देश यह भी जारी किया है कि जब वे इम्पोर्ट हों तो उनकी 60 प्रतिशत सैल्फ लाइफ उनमें होनी चाहिए। एक यह भी निर्देश दिया है कि बहुत-सी वस्तुएं जो इम्पोर्ट होती थीं उनपर हिन्दी-अंग्रेजी में कुछ नहीं लिखा होता था, विदेशी भाषा में लिखा होता था। अब उनपर लेबलिंग केवल हिन्दी-अंग्रेजी में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरा सर्वे कराने का भी सरकार ने निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त एक और आदेश फॉइनेंस मंत्रालय डिपार्टमेंट आफ रेवेन्यु से जारी किया गया है, जो इस बारे में बड़ा स्पष्ट है। मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहूंगा - "All the consignments of edible food products imported through ports, airports and land custom stations shall be referred to the P.H.O. for testing, and clearance shall be allowed only after receipt of the test report. Pending receipt of test report, such consignment may be allowed to be stored in a warehouse under Section 49" और उसको बाहर भेजने का भी निर्देश दे दिया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट से जो बातें सामने आई हैं उनको ध्यान में रखकर पूरी चौकसी बरतने की कोशिश की गई है ताकि इस किस्म की कोई वस्तु आयात न हो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।

SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Sir, it is widely reported in the newspapers that most of the foreign goods that are coming into the country do not contain the

expiry date, the manufacturer's name and the name of the country of origin. I understand from the reply of the hon. Minister that various Ministries are concerned with checking these things. What I would like to know from the hon. Minister is, whether all the Ministries are going to work in tandem to tackle this problem, because the problem, at present, is a small problem, but, in course of time, in future, it may assume a monstrous proportion. So, I would like to know what action the hon. Minister or Ministries are going to take to solve this problem.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, एक तो कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो भी वस्तु इम्पोर्ट होगी उस पर इस देश के सभी नियम उपनियम लागू होंगे। चूंकि इसमें बहुत-से मंत्रालय संबंधित हैं इसलिए जब आयात होगा तब कस्टम विभाग उन सभी विभागों से संबंधित सभी नियम उपनियम लागू करने के लिए जैसे हैल्थ और बाकी विभाग हैं, उनकी भी सहायता लेगा।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, 2000-2001 तक इस सरकार ने लगभग 2600 वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया है। इसमें खाद्य पदार्थ की भी बहुत-सी वस्तुएं हैं जैसे गेहूं का आटा, बटर ऑयल, मांस वगैरह। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अप्रैल, 2001 और जून, 2001 के बीच खाद्य पदार्थों का आयात घटा है। मेरी जानकारी के अनुसार केवल पाम ऑयल बड़े पैमाने पर कमी के साथ इस अवधि में आया है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर पाम ऑयल को छोड़ दिया जाए तो खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में आयात हुए और दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है जैसे गेहूं का आटा और बटर ऑयल आदि तो क्या इन चीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए आप कोई विचार रखते हैं?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक इन वस्तुओं का आयात कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। मेरे पास अप्रैल-मई 2000 और अप्रैल-मई 2001-2002 के आंकड़े हैं...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, मैंने पाम ऑयल के बारे में पूछा है कि अगर पाम ऑयल को निकाल दिया जाए तो खाद्य पदार्थों का कितना आयात हुआ है? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाम ऑयल का बड़े पैमाने पर कम आयात हुआ है।

श्री शांता कुमार: सभापति जी, मेरे पास सीरियल और सीरियल प्रैपरेशन के आंकड़े हैं। शुगर, कैश्यु, फ्रूटनट, पल्सस, टी, मिल्क, क्रीम, वैजेटेरियन, एनीमल फैट के सारे आंकड़े हैं। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष 283 मिलियन डॉलर की सामग्री का आयात हुआ है और इस वर्ष 276 मिलियन डॉलर की सामग्री का आयात हुआ है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आयात एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थोड़ा-सा घटा है बहुत बढ़ा नहीं है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक विशेष संगठन वार रूम के रूप में आयात होने वाले 300 आइटमों पर चौकसी रखने, मोनिटरिंग करने के लिए बना है। यह इन 300 आइटमों पर सतत निगरानी और सावधानी रखता है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति जी, मेरे बी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है जिसमें मैंने पूछा है कि जो

गेहूं का आटा है, बटर ऑयल है, जो हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में है और जिससे मंत्री जी के गोदाम भरे पड़े हैं, जिसकी वजह से किसानों का अनाज नहीं खरीदा जा सकता क्या इन चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्री जी कोई विचार रखते हैं?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, पुराने समझौतों के मुताबिक प्रतिबंधों को नहीं लगाया जा सकता लेकिन ड्यूटी लगाकर हम आयात को रोक जरूर सकते हैं। जिन-जिन वस्तुओं के बारे में सरकार को लगता है कि इनकी आवश्यकता नहीं है-जैसे गेहूं इम्पोर्ट होता है, जो कि 1996, 97, 98 में 32 लाख टन आयात हुआ था हम इसके इम्पोर्ट को बैन नहीं कर सकते लेकिन ड्यूटी लगाने के बाद स्थिति यह है कि गेहूं बिल्कुल इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, शुगर और चावल भी नहीं हो रहा है। जिन-जिन वस्तुओं के बारे में हमें ऐसा लगता है उन पर हम ड्यूटी बढ़ाते हैं, ड्यूटी बढ़ाकर रोक सकते हैं। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या बैन लगा सकते हैं तो बैन तो हम नहीं लगा सकते हैं केवल ड्यूटी बढ़ा सकते हैं...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: ड्यूटी लगाने के बाद क्या आपने अध्ययन किया है कि ऐसी कौन-सी विदेशी चीजें हैं जो ड्यूटी लगाने के बाद भी सस्ती हैं?

MR. CHAIRMAN: I have not asked you to put a question.

SHRI KHAGEN DAS: Sir, I want to know from the Government, whether the Parliamentary Standing Committee on Food, Civil Supplies and Public Distribution has recommended that at least 2,05,520 metric tonnes of foodgrains from the 'damaged account' be dumped into the sea. If so, of the total quantity, as mentioned above, what is the quantity of imported foodgrains and what is the total price of it? Sir, the question is related to bad and damaged food.

श्री शांता कुमार: इस प्रश्न का इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं।

SHRI KHAGEN DAS: Sir, my first question was whether there was a foreign goods' invasion. ...*(Interruptions)*...

श्री शांता कुमार: सभापति जी, सरकार के पास इस प्रकार का जो अन्न था, जिसको मनुष्य के खाने के योग्य इश्यू नहीं किया जा सकता था, उसको हमने फीड कैटेगरी चारे में डालकर सूखाग्रस्त प्रदेशों का वह सारा का सारा अन्न पशु आहार के लिए देने का निर्णय किया है। इसमें से बहुत-सा उठाया भी गया। इससे भी जो खराब अन्न है ...(व्यवधान)...

SHRI KHAGEN DAS: My specific question is : Of the total quantity of food imported, what is the quantity of food damaged which the Government is intending to dump into the sea? Also, what is the total price of it?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, दो-तीन साल, से कोई आयात हो ही नहीं रहा है और आयात किए हुए अन्न में ऐसा कोई अन्न नहीं है। इस समय छह सौ लाख टन अन्न, फूड कारपोरेशन में, हमारे पास है। यह तो एक सतत प्रक्रिया है। कुछ खराब होता रहता है और वह फीड कैटेगरी में चला जाता है। यह सतत

प्रक्रिया है। जो खराब हो जाता है उसका नीलाम कर दिया जाता है। यह सतत प्रक्रिया फूड कारपोरेशन में चलती रहती है।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Government have asked the Tariff Commission to make a study on the question of cheap foreign goods being dumped into India. If the answer is 'Yes', I want to know whether the Commission has submitted its report. If so, what are the findings of the Commission and the steps taken by the Government on those recommendations?

श्री शांता कुमार: इसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है। मैं लिखकर दे दूंगा।

SHRI H. K. JAVARE GOWDA: Mr. Chairman, Sir, after the removal of the Quantitative Restrictions, sub-standard goods are being dumped into the country. It has also been admitted that some goods are being dumped into the country. The Minister has enumerated various steps being taken by the Government to prevent such dumping. I would like to know from the Minister whether he has the details on filing of the cases against those dumping countries or the persons involved in it. Please furnish the details.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, कार्यवाही हम क्या कर रहे हैं यह तो मैंने पहले बता दिया है। हमने सभी प्रदेश सरकारों को कहा है कि इंसपेक्शन करें और इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार इस साल 15490 इंसपेक्शन हुए हैं और 1580 प्रासीक्यूशन हुए हैं।

*342. [The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. For answer *vide* page 16 *infra*].

Threat of Taliban Policies to regional stability

*343. SHRI RUMANDLA RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleases to state:

(a) whether the United States has admitted that Taliban policies are a threat to regional stability;

(b) if so, whether both U.S. and Russia are formulating policies to be pursued to check the Taliban common threat which is posing to both U.S. and Russia as well as to the regional stability;

(c) if so, to what extent India, USA and Russia are working out strategies to check the Taliban policies' threat to regional stability; and

(d) to what extent they have been able to achieve the success?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.